<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः - 94 / 17</u> संस्थापन दिनांकः - 13 / 04 / 2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

...... अभियोजन

वि रू द्ध

 नितेश पिता शिवचरण, उम्र 28 वर्ष निवासी तिरमउ थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 14.12.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498—ए भा०दं०सं० एवं धारा 506 भाग—2 भा.द.वि. के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 31.03.2017 समय रात्रि 9.30 बजे थाना थाना आमला से 12 किमी. पूर्व में ग्राम तिरमउ स्थित अपने मकान में फरियादी निशाबाई के पित होते हुए फरियादी के साथ कूरता कारित की एवं उसे मारने की धमकी देकर आपाधिक अधित्रास किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी निशाबाई का विवाह अभियुक्त से लगभग 5 साल पूर्व हुआ था। अभियुक्त उस पर शक करता था और इसी को लेकर कई बार उसे मारपीट की। घटना दिनांक को भी रात्रि करीब 9.30 बजे जब फरियादी घर में सो रही थी तब अभियुक्त गांव से आया और उसे मायके जाने के लिए बोलने लगा। जब उसने मना किया तो उसने उसे मोबाईल से मार जो उसे दांई आंख में लगा। अभियुक्त ने उसे कहा कि यदि तू मायके नहीं गई तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा।
- 3 फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना आमला में अपराध क. 0183/17 पंजीबद्ध किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 4 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 498—ए भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 5 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी निशाबाई के पति होते हुए उसके साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 7 निशाबाई (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि वह अभियुक्त नितेश को पहचानती है, जो उसका पित है। उसका विवाह 4—5 वर्ष पुर्व हुआ था। उसकी अभियुक्त से दो—दो बातें लेकर विवाद हो गया था, जिस पर गुस्से में आकर उसने अभियुक्त के विरूद्ध प्रदर्श पी—1 रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका बनाया था।
- 8 साक्षी निशाबाई (अ.सा.—1) के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त नितेश उसके साध्ज्ञ मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता था। इस सुझाव को भी गलत बताया कि उसे अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने अभियुक्त द्वारा कुरतापूर्ण व्यवहार किए जाने के संबंध में न्यायालय में कोई कथन नहीं किए हैं।
- 9 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्व ारा फरियादी के साथ कूरतापूर्ण व्यवहार किया गय हो। निष्कर्षतः अभियुक्त नितेश को धारा 498–ए भा0दं०सं० के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)